

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

श्री मुन्ना सिंह, उच्च कक्षपाल एवं श्री नवल रजक, कक्षपाल को निलम्बन से मुक्त किए जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है जो निम्न प्रकार से तालिकाबद्ध है :-

क्र०सं	नाम/पदनाम	गृह जिला	निलंबन अवधि में संलग्न कारा का नाम	नव पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री मुन्ना सिंह उच्च कक्षपाल	गोपालगंज	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर	मंडल कारा, कटिहार
2	श्री नवल रजक कक्षपाल	गया	केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ	उपकारा, वीरपुर


2. संबंधित अधीक्षक अविलम्ब उपरोक्त कर्मियों को विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उपरोक्त कर्मी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए 24 घण्टे के अन्दर नव पदस्थापित कारा में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. उपरोक्त पर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/कक्ष० (स्था०)-०२-११/२०१३ दिनांक/...../२०१६
प्रतिलिपि- अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णिया/अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार/अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर एवं संबंधित कर्मी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/कक्ष० (स्था०)-०२-११/२०१३ दिनांक ...14/11.../२०१६
प्रतिलिपि- महानिरीक्षक कोषांग/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)/निगरानी प्रशाखा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप महानिरीक्षक (प्रशासन)
बिहार, पटना।